वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-1/पर्या०(स्वी०)-31/2018- 5362 राँची, दिनांक- 28.9.18

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा०व०से०
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड, राँची।

विषय – झारखण्ड राज्य **Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township** परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा EIA Notification, 2006 में प्रावधान किए गए हैं तथा EIA, 2006 का संशोधन अधिसूचना संख्या–3999 दिनांक–09.12.2016 द्वारा किया गया है, जिसमें प्रावधान निम्नवत् है :–

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1	2	3	4	5
"8		Building/Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area	The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects. Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV. Note 2. General Conditions shall not apply. Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.

8(b)	Townships and Area Development projects	≥ 3,00,000 sq. mtrs of built up area or Covering an area ≥ 150 ha	≥ 1,50,000 sq. mtrs and < 3,00,000 sq. mtrs built up area or Covering an area ≥ 50 ha and < 150 ha	Note: - General Condition shall not apply

2. भवन निर्माण की परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के नियमों की अवहेलना के विषय वस्तु पर माननीय NGT कोलकाता / नई दिल्ली में कई वाद दायर है। इस क्रम में माननीय NGT कोलकाता द्वारा O.A. No-45/2019/EZ में भवन निर्माण परियोजनाओं पर राज्य सरकार के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

राज्य में भवन निर्माण से संबंधित सरकारी / गैर सरकारी परियोजनाएं यदि चल रही है अथवा प्रस्तावित है, उन सभी परियोजनाओं पर EIA Notification, 2006 तथा इसकी संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई आवश्यक है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि० इत्यादि पर विशेष दायित्व है। सम्बन्धित विभाग अविलंब SoP/Check list तैयार करे, आवश्यक कानून / नियम में परिवर्तन की आवश्यकता है तो तत्नुसार कार्रवाई की जाय। कार्यान्वयन एजेन्सी / DPR बनाने वाले कन्सलटेन्ट / सम्बन्धित पदाधिकारियों का दायित्व निर्धारण करना आवश्यक है।

4. अन्य विभाग योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में सम्बन्धित निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करेंगे।

5. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद तथा SEIAA द्वारा आवश्यक जागरूकता Webinar कंडिका–3 में अंकित विभाग / विभागों के अधीन बोर्ड / निगम हेतु कार्यशाला आयोजित करे। कार्यशाला में पदाधिकारियों के साथ आर्किटेक्ट / संवेदक / मोनिटरिंग एजेन्सी इत्यादि को भी शामिल किया जाय। प्रथम चरण में सभी नगर निगम क्षेत्र में अलग–अलग यह कार्य अगले 2 माह (30.11.2020) तक पूर्ण करायें।

6. उक्त के क्रम में अनुरोध है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित अधिसूचना संख्या–3999 दिनांक–09.12.2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य में Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रावधानित पर्यावरण नियमों के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/09/2020

(अगरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

8(b)	Townships and Area Development projects	≥ 3,00,000 sq. mtrs of built up area or Covering an area ≥ 150 ha	≥ 1,50,000 sq. mtrs and < 3,00,000 sq. mtrs built up area or Covering an area ≥ 50 ha and < 150 ha	Note: - General Condition shall not apply

2. भवन निर्माण की परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के नियमों की अवहेलना के विषय वस्तु पर माननीय NGT कोलकाता / नई दिल्ली में कई वाद दायर है। इस क्रम में माननीय NGT कोलकाता द्वारा O.A. No-45/2019/EZ में भवन निर्माण परियोजनाओं पर राज्य सरकार के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

राज्य में भवन निर्माण से संबंधित सरकारी / गैर सरकारी परियोजनाएं यदि चल रही है अथवा प्रस्तावित है, उन सभी परियोजनाओं पर EIA Notification, 2006 तथा इसकी संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई आवश्यक है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि० इत्यादि पर विशेष दायित्व है। सम्बन्धित विभाग अविलंब SoP/Check list तैयार करे, आवश्यक कानून / नियम में परिवर्तन की आवश्यकता है तो तत्नुसार कार्रवाई की जाय। कार्यान्वयन एजेन्सी / DPR बनाने वाले कन्सलटेन्ट / सम्बन्धित पदाधिकारियों का दायित्व निर्धारण करना आवश्यक है।

4. अन्य विभाग योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में सम्बन्धित निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करेंगे।

5. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद तथा SEIAA द्वारा आवश्यक जागरूकता Webinar कंडिका–3 में अंकित विभाग / विभागों के अधीन बोर्ड / निगम हेतु कार्यशाला आयोजित करे। कार्यशाला में पदाधिकारियों के साथ आर्किटेक्ट / संवेदक / मोनिटरिंग एजेन्सी इत्यादि को भी शामिल किया जाय। प्रथम चरण में सभी नगर निगम क्षेत्र में अलग–अलग यह कार्य अगले 2 माह (30.11.2020) तक पूर्ण करायें।

6. उक्त के क्रम में अनुरोध है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित अधिसूचना संख्या–3999 दिनांक–09.12.2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य में Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रावधानित पर्यावरण नियमों के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/09/2020

(अगरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

8(b)	Townships and Area Development projects	≥ 3,00,000 sq. mtrs of built up area or Covering an area ≥ 150 ha	≥ 1,50,000 sq. mtrs and < 3,00,000 sq. mtrs built pu area or Covering an area ≥ 50 ha and < 150 ha	Note: - General Condition shall not apply.

2. भवन निर्माण की परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के नियमों की अवहेलना के विषय वस्तु पर माननीय NGT कोलकाता/नई दिल्ली में कई वाद दायर है। इस क्रम में माननीय NGT कोलकाता द्वारा O.A. No-45/2019/EZ में भवन निर्माण परियोजनाओं पर राज्य सरकार के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

राज्य में भवन निर्माण से संबंधित सरकारी/गैर सरकारी परियोजनाएं यदि चल रही है अथवा प्रस्तावित है, उन सभी परियोजनाओं पर EIA Notification, 2006 तथा इसकी संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई आवश्यक है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि० इत्यादि पर विशेष दायित्व है। सम्बन्धित विभाग अनिवार्य SoP/Check list तैयार करे, आवश्यक कानून/नियम में परिवर्तन की आवश्यकता है तो तद्नुसार कार्रवाई की जाय। कार्यान्वयन एजेन्सी/DPR बनाने वाले कन्सलटेन्ट/सम्बन्धित पदाधिकारियों का दायित्व निर्धारण करना आवश्यक है।

4. अन्य विभाग योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में सम्बन्धित निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करेंगे।

5. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद तथा SEIAA द्वारा आवश्यक जागरूकता Webinar कंडिका–3 में अंकित विभाग/विभागों के अधीन बोर्ड/निगम हेतु कार्यशाला आयोजित करे। कार्यशाला में पदाधिकारियों के साथ आर्किटेक्ट/संवेदक/मोनिटरिंग एजेन्सी इत्यादि को भी शामिल किया जाय। प्रथम चरण में सभी नगर निगम क्षेत्र में अलग-अलग यह कार्य अगले 2 माह (30.11.2020) तक पूर्ण करावें।

6. उक्त के क्रम में अनुरोध है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित अधिसूचना संख्या–3999 दिनांक–09.12.2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य में Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रावधानित पर्यावरण नियमों के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 3999(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 and clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received suggestions for ensuring Ease of Doing Responsible Business; and streamlining the permissions for buildings and construction sector which is important for providing houses and for this purpose the scheme of Housing for all by 2022 with an objective of making available affordable housing to weaker sections in urban area has ambitious target;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published, vide number S.O.1595 (E) dated the 29th April 2016, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:-

In the said Notification,-

(I) after paragraph 13, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"14. Integration of environmental condition in building bye-laws.-

(1) The integrated environmental conditions with the building permission being granted by the local authorities and the construction of buildings as per the size shall adhere to the objectives and monitorable environmental conditions as given at Appendix-XIV.

(2) The States adopting the objectives and monitorable environmental conditions referred to in sub-paragraph (1), in the building bye-laws and relevant State laws and incorporating these conditions in the approvals given for building construction making it legally enforceable shall not require a separate environmental clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for individual buildings.

(3) The States may forward the proposed changes in their bye-laws and rules to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, who in turn will examine the said draft bye-laws and rules and convey the concurrence to the State Governments.

(4) When the State Governments notifies the bye-laws and rules concurred by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Central Government may issue an order stating that no separate environmental clearance is required for buildings to be constructed in the States or local authority areas.

8(b)	Townships and Area Development projects	≥ 3,00,000 sq. mtrs of built up area or Covering an area ≥ 150 ha	≥ 1,50,000 sq. mtrs and < 3,00,000 sq. mtrs built up area or Covering an area ≥ 50 ha and < 150 ha	Note: - General Condition shall not apply

2. भवन निर्माण की परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के नियमों की अवहेलना के विषय वस्तु पर माननीय NGT कोलकाता / नई दिल्ली में कई वाद दायर है। इस क्रम में माननीय NGT कोलकाता द्वारा O.A. No-45/2019/EZ में भवन निर्माण परियोजनाओं पर राज्य सरकार के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

राज्य में भवन निर्माण से संबंधित सरकारी / गैर सरकारी परियोजनाएं यदि चल रही है अथवा प्रस्तावित है, उन सभी परियोजनाओं पर EIA Notification, 2006 तथा इसकी संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई आवश्यक है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि० इत्यादि पर विशेष दायित्व है। सम्बन्धित विभाग अविलंब SoP/Check list तैयार करे, आवश्यक कानून / नियम में परिवर्तन की आवश्यकता है तो तत्नुसार कार्रवाई की जाय। कार्यान्वयन एजेन्सी / DPR बनाने वाले कन्सलटेन्ट / सम्बन्धित पदाधिकारियों का दायित्व निर्धारण करना आवश्यक है।

4. अन्य विभाग योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में सम्बन्धित निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करेंगे।

5. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद तथा SEIAA द्वारा आवश्यक जागरूकता Webinar कंडिका–3 में अंकित विभाग / विभागों के अधीन बोर्ड / निगम हेतु कार्यशाला आयोजित करे। कार्यशाला में पदाधिकारियों के साथ आर्किटेक्ट / संवेदक / मोनिटरिंग एजेन्सी इत्यादि को भी शामिल किया जाय। प्रथम चरण में सभी नगर निगम क्षेत्र में अलग–अलग यह कार्य अगले 2 माह (30.11.2020) तक पूर्ण करायें।

6. उक्त के क्रम में अनुरोध है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित अधिसूचना संख्या–3999 दिनांक–09.12.2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य में Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रावधानित पर्यावरण नियमों के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/09/2020

(अगरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

पत्र संख्या–[illegible]–31/2018– 5362 राँची, दिनांक– 25.9.18

प्रेषक,

कामेश्वर प्रताप सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड, राँची।

विषय – झारखण्ड राज्य **Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township** परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा EIA Notification, 2006 में प्रावधान किए गए हैं तथा EIA, 2006 का संशोधन अधिसूचना संख्या–3999 दिनांक–09.12.2016 द्वारा किया गया है, जिसमें प्रावधान निम्नवत् है –

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1	2	3	4	5
"8		Building/Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area	The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects. Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV. Note 2. General Conditions shall not apply. Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.

पत्र संख्या-7/पर्या०प्रदू०(भव)-31/2019- 9362 ह०प०, राँची, दिनांक- 25.9.20

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- झारखण्ड राज्य **Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township** परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा EIA Notification, 2006 में प्रावधान किए गए हैं तथा EIA, 2006 का संशोधन अधिसूचना संख्या–3999 दिनांक–09.12.2016 द्वारा किया गया है, जिसमें प्रावधान निम्नवत् है :-

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1	2	3	4	5
"8		Building/Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area	The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects. Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV. Note 2. General Conditions shall not apply. Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–1/पर्या०स्वी०(विवि)–31/2018– 3362 वन०प०, राँची, दिनांक– 25.4.19

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा०व०से०
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड, राँची।

विषय – झारखण्ड राज्य **Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township** परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा EIA Notification, 2006 में प्रावधान किए गए हैं तथा EIA, 2006 का संशोधन अधिसूचना संख्या–3999 दिनांक–09.12.2016 द्वारा किया गया है, जिसमें प्रावधान निम्नवत् है –

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1	2	3	4	5
"8		Building/Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area	The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects. Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV. Note 2. General Conditions shall not apply. Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.

पत्र संख्या-7/पर्या०प्रदू०(विवि)-31/2019- 9362 व०प०, राँची, दिनांक- [illegible]

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा०व०से०,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- झारखण्ड राज्य **Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township** परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा EIA Notification, 2006 में प्रावधान किए गए हैं तथा EIA, 2006 का संशोधन अधिसूचना संख्या–3999 दिनांक–09.12.2016 द्वारा किया गया है, जिसमें प्रावधान निम्नवत् है :-

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1	2	3	4	5
"8		Building/Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area	The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects. Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV. Note 2. General Conditions shall not apply. Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.

4-